न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरनोद, जिला – प्रतापगढ

पीठासीन अधिकारी – डॉ. कुलराज मीणा (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 42 / 2017 दायर दिनांक :– 14–06–2017

निर्णय दिनांक :–

श्री मगनलाल पिता देवाजी जाति कुमावत आयु 70 वर्ष निवासी दलोट तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ राज0 – वादी

–:: बनाम ::–

01. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय प्रतापगढ
02. तहसीलदार अरनोद – प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 रा0टी0 एक्ट एवं 136 ले0रे0 एक्ट

उपस्थित :– 1– श्री अर्जुन वैष्णव अभिभाषक वादी

–:: निर्णय :–

वादी की ओर से एक वाद तहत धारा 88, 89 आर0 टी0 एक्ट एवं 136 ले0 रे0 एक्ट हेतु विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार पेश कर निवेदन किया है कि मौजा दलोट प0 ह0 दलोट तहसील अरनोद में वादी के नाम से खाता संख्या 438 आराजी नं. 2072 रकबा 0.02 है0 दर्ज रिकॉर्ड है उक्त आराजी नम्बर 622 रकबा 3 बिस्वा किस्म बाडा से मिलकर बना है। संवत 2001 दिनांक 10–01–1945 को वादी के पिता देवा पिता गमेरा जी कुमावत को रियासत देवगढ के समय से आंवटित हुई थी और सेटलमेंट के दौरान सेटलमेंट अधिकारी महोदय द्वारा सेटलमेंट कर नए नम्बर 2072 रकबा 0.03 है0 दर्ज कर चेक लिस्ट वादी को सन् 1982 में सिपूर्द कर दी गई थी। लेकिन उक्त दौरान रोटेसन जमाबन्दी मिलान क्षेत्रफल बनाते समय सेटलमेंट अधिकारियों ने बिना किसी आदेश के आराजी नम्बर 2072 रकबा 0.03 है0 की बजाए 0.02 है0 दर्ज कर दिया और ऐसा करने का सेटलमेंट विभाग को कोई हक व अधिकार नहीं था।

पुराने नक्शे और नए नक्शे का मिलान करने पर वादी का 0.01 है0 रकबा नये आराजी नं0 2093 रकबा 0.01 है0 से मिल गया है जो कि मिलान क्षेत्रफल अनुसार पुराने आराजी नं0 623 से मिलकर बना है लेकिन पुराने आराजी नम्बर 623 के अन्य आराजी नम्बर भी बने हैं। लेकिन सेटलमेंट विभाग द्वारा पुराने आराजी नं0 622 रकबा 0.03 है0 जिसके वर्तमान आराजी नं0 2072 रकबा 0.02 हैं बना है जिसका 0.01 है0 का भी रकबा आराजी नम्बर 2093 रकबा 0.01 है0 से मिला दिया है। जैसा कि पुराने रिकॉर्ड एवं ट्रेस से स्पष्ट प्रतीत होता है और सेटलमेंट विभाग को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए उक्त गलती का सुधार किया जाना आवश्यक है।

Scanned with CamScanner

वादी अधिकारी है कि रेवेन्यु रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कर आराजी नम्बर 2072 रकबा 0.02 है0 में हुई रकबा 0.01 है की कमी पूर्ति आराजी नं0 2093 रकबा 0.01 है0 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को सम्मन/नोटिस जारी किये गए। प्रतिवादी तहसीलदार अरनोद से रिपोर्ट प्राप्त की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मौजा दलोट के खाता सं. 438 के आराजी नम्बर 2072 रकबा 0.02 है0 दर्ज रिकॉर्ड जो पुराने नम्बर 622 रकबा 3 बिस्वा किस्म वाडा से मिलकर बना है। इस सम्बंध में वादी ने रियासत काल के दस्तावेज पेश किये है। सेटलमेंट विभाग गलती से आराजी नम्बर 622 रकबा 3 बिस्वा के नये नम्बर 2072 मे 0.03 के बजाय 0.02 है0 दर्ज कर दिया। जिसमें वादी के 0.01 है0 कम दर्ज किया है। कम हुआ रकबा आराजी नम्बर 2093 से मिला दिया गया है। पटवार हल्का दलोट से मौका रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट अनुसार वादी मगनलाल पिता देवाजी कुमावत निवासी दलोट का उक्त 0.03 है0 पर वर्तमान में कब्जा चल रहा है। अतः वाद वादी का स्वीकार किया जाता है। एवं मौजा दलोट के आराजी नम्बर 2072 रकबा 0.02 है0 में हुई रकबा 0.01 है0 कीं कमी की पूर्ति आराजी नम्बर 2093 से की जावे एवं मौजा दलोट के आराजी नम्बर .2072 रकबा 0.03 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
अरनोद

Scanned with CamScanner